न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी – श्रीमती निमिषा गुप्ता ,आर ए एस

अपील संख्या– आरटीए/212/2015

उनवान

1. राधेश्याम पुत्र रामपाल बल्दवा निवासी भदादा बाग के सामने, भोपालगंज, भीलवाडा तहसील व जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट/वादी

बनाम

1. उदयलाल पुत्र माना अहीर निवासी तख्तपुरा तहसील भीलवाडा हाल तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा
2. तुलसीराम पुत्र माना अहीर निवासी तख्तपुरा तहसील भीलवाडा हाल तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा
3. रतन लाल पुत्र माना अहीर निवासी तख्तपुरा तहसील भीलवाडा हाल तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा
4. श्रीमती नन्दू बाई पुत्री माना अहीर निवासी तख्तपुरा तहसील भीलवाडा हाल तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार हमीरगढ भीलवाडा

प्रत्यर्थीगण/प्रतिवादीगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
अपील विरूद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी, हमीरगढ के प्रकरण संख्या 313/2013 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.6.2015

अभिभाषक : 1. श्री जयकृत सिंह, अधिवक्ता अपीलार्थी
2.श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

आदेश

दिनांक 10.1.2019

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी /वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

कर निवेदन किया कि वादी के स्वामित्व आधिपत्य की आराजी खतौनी संख्या 324 आराजी संख्या 1184/1 रकबा 1 बीघा 01 बिस्वा, आराजी संख्या 1186 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा ग्राम तख्तपुरा तहसील व जिला भीलवाडा में स्थित है। जिसके पडौस निम्न प्रकार है :–

पूर्व :– राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 79

पश्चिम :– रास्ता

उत्तरः–प्रतिवादी संख्या 1 से लगायत 4 की जायदाद

दक्षिण :– मधुबाला पत्नि भैरू लाल जी जैन की जायदाद

वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 की आराजियात के मध्य कोई किसी प्रकार का विभाजन नही है। इस कारण प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 ने अपनी आराजियात के साथ–साथ वादी की खातेदारी अधिकारों की आराजी संख्या 1186 की पश्चिमी मेड पर 05 बिस्वा पर धीरे धीरे खिसकते हुए जबरन कब्जा कर लिया । वादी को इस बात की शंका होने पर वादी ने उपरोक्त आराजियात की पत्थरगढी करवाई । जिसके प्रकरण संख्या 291/2012 कायम हो दिनांक 10.4.2012 को निर्णय पारित कर आदेश फरमाया गया । जिसकी तामील में दिनांक 19.6.2012 को मौके पर बमुकाबले प्रतिवादी संख्या 1 से लगायत 4 वादी की खातेदारी अधिकार की आराजी नम्बर 1186 की पश्चिमी मेड की 5 बिस्वा भूमि को प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 ने अपनी आराजी नम्बर 977 मीन में मिला लिया जो वादी के खातेदारी अधिकारों की है पर कब्जा प्रतिवादी संख्या 1 उदयलाल पुत्र माना अहीर का होना पाया गया । इस हेतु प्रमाण में पर्चा मौका की प्रमाणित संलग्न है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 को वादी की आराजी संख्या 1186 की पश्चिमी मेड रकबा 05 बिस्वा पर से अपना नाजायज कब्जा हटा कर कब्जा वादी को सुपुर्द

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

करने हेतु कई बार कहा किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 से लगायत 4 इस हेतु तैयार नहीं हुए। अतः बजरिये डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 इस अमर की फरमाई जावे कि वादी की आराजी संख्या 1186 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा वाके तख्तपुरा में से 1 बीघा 10 बिस्वा तो वादी के कब्जे में है और शेष 5 बिस्वा आराजी पर प्रतिवादी संख्या 1 से 4 का नाजाायज कब्जा है जिनका कब्जा हटाया जाकर वादी का कब्जा कराने का आदेश फरमाया जावे। दिनांक 19.6.2012 से 500/–रूपये प्रति साख प्रतिवादी संख्या 1 से 4 से तारीख कब्जा दिलाये जाने की दिनांक तक दिलाये जाने का भी आदेश प्रदान कराया जावे।

2. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.6.2015 को वादी का वाद पत्र खारिज किया गया। जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र दिनांक 20.8.2015 को प्रस्तुत कर दिया परन्तु जब भी वह नकल लेने गया तो बताया गया कि अभी तक डिक्री तैयार नहीं हुई है। इसके पश्चात दिनांक 1.10.2015 को नकल प्राप्त हुई। उसके पश्चात अपीलार्थी मियादी बुखार से ग्रसित हो गया इसलिए वह अपने अधिवक्ता से सम्पर्क नहीं कर सका । अपने अधिवक्ता से सम्पर्क करने के उपरान्त अविलम्ब अपील प्रस्तुत की गई है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय एवं डिक्री की नकल दिये जाने की दिनांक से अपील अन्दर

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

अवधि पेश है। अतः अपील प्रस्तुत करने मे हुए विलम्ब को क्षम्य किया जावे।

4. अधिवक्ता अपीलार्थी ने निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री विधि एवं तथ्यों से विपरीत होने से खारिज योग्य है। उनका यह भी निवेदन है कि उक्त प्रकरण को लोक अदालत कैम्प ओज्याडा में रखा गया , जिसकी सूचना बाबत कोई सम्मन नोटिस अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थीगण को नहीं जारी नहीं किये गये , बिना अपीलार्थी को सुने उक्त निर्णय एवं डिक्री पारित की है। जो विधिविरूद्ध होने से खारिज योग्य है।

5. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 द्वारा वादी की भूमि पर कब्जा नहीं होने बताने से वाद पत्र को खारिज कर दिया व अंकन किया कि उभयपक्ष अपनी अपनी भूमि का सीमाज्ञान/पत्थरगढी कराकर दाद हासिल कर सकते हैं। इस प्रकार का अंकन करते हुए वाद पत्र खारिज फरमा दिया गया । जो विधिविरूद्ध है। अपीलार्थी ने कब्जा प्राप्त करने हेतु धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वाद पत्र प्रस्तुत किया था व वाद प्रस्तुत करने से पूर्व वादी ने पत्थरगढी करवाई थी। जिसमें 05 बिस्वा भूमि पर उदयराम पुत्र माना अहीर, का कब्जा माना गया व अपीलार्थी ने अपने वाद पत्र के साथ पत्थरगढी आदेश के निर्णय की प्रति व पटवारी व गिरदावर के मौका पर्चा की प्रतियॉ प्रस्तुत की थी। जिससे अपीलार्थी की भूमि पर प्रतिवादीगण/रेस्पोडेण्ट्स का अवैध कब्जा स्पष्ट होते हुए भी व कब्जा प्राप्त करने हेतु वाद पत्र प्रस्तुत करने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी/वादी के वाद पत्र को खारिज किये जाने में भारी विधिक त्रुटि की है। इसलिए

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री निरस्त योग्य है।

6. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अपीलार्थी को अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया जिससे वह अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं कर पाया था। अपीलार्थी को बिना सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये जो निर्णय पारित किया गया है वह विधिविरूद्ध होने से खारिज योग्य है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री को निरस्त किया जाकर प्रकरण को पुनः सुनवाई हेतु अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जावे।

7. प्रत्यर्थी संख्या 1 से 4 लगायत बावजुद सुचना अनुपस्थित रहे।

8. हमनें अपीलार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । अपीलार्थी ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील अपीलार्थी अन्दर मियाद मानने का निवेदन किया । अपीलार्थी ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण अंकित किया है वह सद्भाविक एवं संतोंषप्रद होने के कारण अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर अपील अपीलार्थी अन्दर मियाद मानी जाती है।

9. अपीलार्थी/वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी की खातेदारी की आराजी संख्या 1186 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा में से पश्चिमी मेड पर 05 बिस्वा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 ने जबरन कब्जा कर अपनी खातेदारी की आराजी नम्बर 977 में मिला दिया है। उक्त 05 बिस्वा भूमि पर से कब्जा

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण का हटाया जाकर पुनः कब्जा वादी को दिलाये जाने का निवेदन किया । अपीलार्थी/वादी ने अपने वाद पत्र के साथ अपीलार्थी ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा के न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम में पारित निर्णय दिनांक 10.4.2012 की प्रति संलग्न की थी एवं साथ ही उक्त आदेश की पालना में पटवारी हल्का एवं गिरदावर द्वारा जो पर्चा मौका दिनांक 19.6.2012 को बनाया गया उसकी मौका रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई थी। जिसमें अंकन किया गया है कि " आराजी नम्बर 1186 की पश्चिमी मेड पर करीब 05 बिस्वा भूमि पर उदयराम पिता माना अहीर निवासी तख्तपुरा द्वारा कब्जा कर मौके पर थोड की बाड लगा रखी है मौके पर उक्त भूमि वर्तमान में पडत है । उक्त दोनों आराजी के चारों तरफ पत्थर की बाड लगवा कर मौका पर्चा बना उपस्थित कर हस्ताक्षर करवाये गये। " साथ ही यह भी नोट लगाया गया कि अप्रार्थी उपस्थित रहकर नपती के साथ रहकर उपस्थित रहे परन्तु मौका पर्चा पर हस्ताक्षर करने से मना किया । अपीलार्थी/प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पत्थरगढी हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना जिस पर पत्थरगढी किये जाने का आदेश पारित किया जाना एवं उक्त आदेश की पालना मे पटवारी हल्का एवं गिरदावर द्वारा पत्थरगढी कराया जाना तथा वादग्रस्त आराजी नम्बर 1186 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा में से पश्चिमी मेड पर लगभग 05 बिस्वा पर प्रत्यर्थी उदयराम पिता माना अहीर का कब्जा होना प्रमाणित होता है।

10. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त पत्थरगढी किये जाने हेतु आदेश एवं उक्त आदेश की पालना में पटवारी हल्का एवं गिरदावर द्वारा की गई पत्थरगढी की मौका पर्चा रिपोर्ट का अवलोकन भी नहीं किया गया एवं प्रकरण को केम्प

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

कोर्ट औज्याडा में रखा जाकर मात्र प्रतिवादी संख्या 1 व 3 को सुनकर प्रकरण का निस्तारण कर दिया गया एवं यह अंकित कर दिया गया कि " आज दिनांक 10.6.2015 को आयोजित राजस्व लोक अदालत ग्राम पंचायत मुख्यालय औज्याडा में वादी का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183 आर टी ए में प्रतिवादी संख्या 1 व 3 ने वादी की भूमि पर कब्जा नहीं होना बताया है। उभयपक्ष अपनी अपनी भूमि का सीमाज्ञान/पत्थरगढी कराकर दाद हासिल कर सकते हैं। वादी का वाद पत्र 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य नहीं है । प्रकरण इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है। "

11. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण को राजस्व लोक अदालत कैम्प औज्याडा में रखा गया परन्तु इस बाबत उभयपक्ष को किसी प्रकार का नोटिस जारी कर सूचित नहीं किया गया एवं कैम्प में पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय से सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन कर उभयपक्ष को सुनवाई का मौका देकर ही सुनवाई की जानी अपेक्षित थी जो कि नही की गयी,एवं इसका समर्थन नहीं किया जा सकता है। चूंकि अपीलार्थी द्वारा वादग्रस्त आराजी की पत्थरगढी कराई जा चुकी है एवं वादग्रस्त आराजी पर प्रत्यर्थी/प्रतिवादी उदयराम पिता माना अहीर निवासी तख्तपुरा का आराजी नम्बर 1186 की पश्चिमी मेड पर करीब 05 बिस्वा भूमि पर कब्जा कर मौके पर थेड की बाड लगा रखी होना प्रमाणित होता है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलार्थी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को निरस्त करते हुए प्रकरण में उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर अज सिरे नो निर्णय

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

पारित करने हेतु प्रकरण को रिमाण्ड किया जाना उचित समझते है।

12. अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 10.6.2015 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्य, दस्तावेज का अवलोकन कर उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर अज सिरे नो निर्णय पारित किया जावे। उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 20.2.19 को उपस्थित रहे।

13. निर्णय आज दिनांक 10.1.2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

10/1/19

(निमिषा गुप्ता)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा